न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, केकड़ी, जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी	–	**शुभम गुप्ता, आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	387/2017
सी.आई.एस. नंबर	–	387/2017
सीएनआर नंबर	–	RJAJ140006492017

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

ब ना म

1. श्योजीराम पुत्र जगदीश, उम्र 35 साल
2. सुमित्रा पत्नी श्योजीराम, उम्र 33 साल,
3. प्रेम देवी पत्नी रामेश्वर पुत्री कुंदन, उम्र 50 साल, निवासीगण नांदसी, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 447/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य.
2. श्री सांवरलाल चौधरी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

:: **नि र्ण य** :: **दिनांकः 10.04.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.11.2016 को प्रार्थी किशनलाल जाट ने पुलिस थाना भिनाय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह, उसकी पत्नी प्रेम व उसकी पुत्री मैना दिनांक 16.11.2016 को सांय 05.00 बजे करीब खतेदारी खेत में गेंहू की पिलाई कर रहे थे, तभी नांदसी निवासी श्योजी जाट, सुमित्रा, प्रेम व मगनीराम तथा रामनिवास एकराय होकर गाली गलौज करते हुए खेत में घुस आए और आते ही श्योजी जिसके हाथ में तलवार थी, ने उसके सिर में वार कर दिया और उसको बचाने उसकी पुत्री मैना आई तो श्योजी ने उसके सिर व दाएं तथा बाएं हाथ में तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। उसकी पत्नी प्रेम भी बचाने आई तो प्रेम व सुमित्रा जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, ने उसकी पत्नी के बाएं हाथ, सीने में जानलेवा हमला कर दिया तभी साथ आए मगनीराम व रामनिवास ने भी लात–घूंसों से उसके व उसकी पुत्री के साथ मारपीट की और उनके चिल्लाने की आवाजें सुनकर बिज्जु, शिवराज व अन्य लोगों ने आकर उनका बीचबचाव कराया, अन्यथा अप्रार्थी उनके

साथ अनहोनी घटना घटित कर देते और जाते–जाते एलानियां धमकी देकर गए कि तुम्हें जान से खत्म करके रहेंगे......आदि। उक्त रिपोर्ट को पुलिस थाना भिनाय द्वारा 371/2016 के रूप में दर्ज किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण श्योजीराम, सुमित्रा व प्रेमदेवी के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 447/34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाकर उक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय श्रीमान एसीजेएम संख्या 02, केकड़ी द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 447/34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 447/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर आरोपों से इनकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात्, यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, केकड़ी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

<u>–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–</u>

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
पीडब्ल्यू–1	किशनलाल
पीडब्ल्यू–2	मैना देवी
पीडब्ल्यू–3	बृजराज सिंह
पीडबल्यू–4	शिवराज
पीडब्ल्यू–5	डॉ. अनिल मीणा
पीडब्ल्यू–6	ओमप्रकाश

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श संख्या**
1.	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2.	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–2
3.	चोट प्रतिवेदन किशनलाल	प्रदर्श पी–3
4.	नक्शा मौका	प्रदर्श पी–4
5.	जमाबंदी	प्रदर्श पी–5
6.	नक्शा ट्रेस	प्रदर्श पी–6
7.	चोट प्रतिवेदन मैना देवी	प्रदर्श पी–7
8.	एक्सरे प्लेट	प्रदर्श पी–8 व पी–9
9.	चोट प्रतिवेदन प्रेम देवी	प्रदर्श पी–10
10.	एक्सरे एनवलप	प्रदर्श पी–11
11.	एक्सरे प्लेट	प्रदर्श पी–12

ख. बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी संख्या**
–	–	–

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के साक्ष्य को गलत होना तथा झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा। बहस अंतिम सुनी गई।

6. दौराने बहस, अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में

सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर, उचित कारावास के दंड से दंडित किया जावे।

7. इसके विपरीत, अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस, कथन किए गए कि परीक्षित करवाए गए साक्षियों के कथनों में परस्पर गंभीर व तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्तगण को इस प्रकरण में मिथ्या आधारों पर संलिप्त किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं:–

क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.11.2016 को शाम करीब 05.00 बजे ग्राम नांदसी, पुलिस थाना भिनाय पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी किशनलाल के कब्जेशुदा खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर परिवादी किशनलाल, प्रेम व मैना का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ स्वेच्छया कुंदाला हथियार व धारदार हथियार फावड़े से मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोटें कारित की?

यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

9. उपर्युक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो यह प्रकट होता है कि पी.ड. 1 के तौर पर परिवादी किशनलाल परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 16.11.2016 को दिन की 4–5 बजे की बात है। उनके खेत की जगह की बात है। वे लोग उनके खेत की सिंचाई कर रहे थे। वहां, उसकी पत्नी प्रेम देवी व बेटी मैना देवी मानसागर तालाब की नहर से पानी पिला रहे थे। उनके पड़ोस में प्रेम देवी/रामेश्वर का खेत है। वे उनके खेत पर ही थे और पानी से सिंचाई कर रहे थे, तभी श्योजीराम, उसकी पत्नी सुमित्रा व प्रेम देवी तीनों उनके खेत पर आए और घर में फावड़ा, लकड़ी लेकर आए थे, आते ही इन लोगों ने उसकी पत्नी व मैना के साथ फावड़ा व लकड़ी से मारपीट की। उसने खेत में से भाग कर उनका बीचबचाव किया और उसके साथ भी मारपीट की। उसकी बेटी के दोनों हाथों व नाक व सिर पर चोटें आई थी। नाक से खून बहने लगा, उसके सिर, छाती व पीठ पर चोटें आई थी। नहर के पानी को लेकर उन लोगों ने झगड़ा किया था। घटना की रिपोर्ट भिनाय थाने में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसका मेडिकल हुआ था जो भिनाय

अस्पताल में हुआ था, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है। घटना का नक्शा मौका बनाया था। मौके पर पुलिस आई थी। घटना का नक्शा मौका बनाया था, उस समय वह, बृजराज व रामचंद्र मौजूद थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके खेत की जमाबंदी प्रदर्श पी–5 है व नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–6 है। जिरह के दौरान गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी–1 उसका हस्तलिपि है। गवाह ने यह सुझाव गलत बताया कि पानी प्रेम/श्योजी के खेत में जा रहा हो, जिसको बंद कर दिया था। गवाह ने कथन किया कि मौके पर आसपास के खेतों के आदमी नहीं थे। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि जिस खेत में पानी जा रहा था, वह उसका स्वयं का नहीं है, वह शामलाती है। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसके खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है।

10. इसी क्रम में पी.ड. 2 के तौर पर मैना देवी परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 16.11.2016 के दिन के 4–5 बजे की बात है। उस समय वह, उसके पापा, किशनलाल व प्रेम देवी उनके खेत नांदसी में पानी पिला रहे थे। मानसागर की तालाब की नहर से पानी पिला रहे थे, वहां पर श्योजीराम, उसकी पत्नी सुमित्रा व प्रेम देवी उनके खेत में आए और पानी की बात को लेकर प्रेम देवी पर हमला कर दिया। वह व उसके पापा छुड़वाने गए तो उनके साथ भी मारपीट की। इन्होंने लकड़ी व फावड़े से उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट में दोनों हाथों में चोटें आई थी, नाक व सिर में चोट लगी। नाक से खून बहने लगे। उसकी मां के कुहनी व छाती पर चोटें आई थी। पापा के सिर में चोटें आई, पीठ व छाती पर लगी। उसका मेडिकल हुआ था, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 है। उसका एक्सरे हुआ था, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–8 है। उसके फावड़े से मारी थी। जिरह के दौरान गवाह ने कथन किया कि खेत का खसरा नंबर उसे याद नहीं है। मौके पर वह, उसकी मां व उसके पापा मौजूद थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। आसपास के खेतों में आदमी हो तो उसे पता नहीं है। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उनके विरूद्ध भी मारपीट करने का मुकदमा चल रहा है।

11. उक्त गवाहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह पी.ड. 1 किशनलाल तथा पी.ड. 2 मैना देवी प्रकरण में आहतगण के तौर पर परीक्षित हुए है, जिन्होंने एक स्वर में यह कथन किए हैं कि दिनांक 16.11.2016 को किशनलाल, प्रेम देवी व मैना देवी उनके खेत पर पानी पिला रहे थे, तभी श्योजीराम, सुमित्रा व प्रेम देवी उनके खेत पर आ गए व आते ही उन लोगों ने फावड़े व लकड़ी से मारपीट की। गवाहान द्वारा किशनलाल के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 तथा मैना देवी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 की पुष्टि की

गई है। इस क्रम में चिकित्सीय साक्षी के रूप में डॉ. अनिल मीणा परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में मजरूब किशन के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3, मजरूबा मैना देवी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 तथा मजरूबा प्रेम देवी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 की पुष्टि की है तथा यह कथन किया है कि मजरूबा मैना देवी की चोट संख्या 01 सामान्य प्रकृति की थी जो धारदार हथियार से कारित की गई थी तथा मजरूबा प्रेम देवी की चोट संख्या 01 सामान्य प्रकृति की थी, जो धारदार हथियार से कारित की गई थी।

12. उक्त गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत जिरह की गई है, परंतु गवाहान द्वारा अपनी जिरह के दौरान ऐसे कोई ठोस कथन नहीं किए गए हैं, जिनसे उनके मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन होता हो। गवाहान द्वारा उनके चोट प्रतिवेदन को प्रदर्शित करवाया गया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर मौजूद चिकित्सीय साक्षी पी.ड. 5 डॉ. अनिल मीणा के बयानों से होती है। आहत चक्षुदर्शी साक्ष्य के बयानों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **Balu Sudam Khalde vs The State Of Maharashtra on 29 March, 2023 CRIMINAL APPEAL NO. 1910 OF 2010** में यह पाया है कि –

"When the evidence of an injured eye–witness is to be appreciated, the under– noted legal principles enunciated by the Courts are required to be kept in mind:

(a) The presence of an injured eye–witness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions in his deposition.

(b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the accused.

(c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly.

(d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions.

(e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then

such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence.

(f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded."

13. उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में पत्रावली पर मौजूद उक्त गवाहान के उक्त बयानों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ सदोष अवरोध कारित करते हुए उनके साथ धारदार हथियार (फावड़े) से मारपीट की गई थी, जिस कारण उनके साधारण चोटें आई थी।

14. इसी क्रम में पी.ड. 3 के तौर पर बृजराज परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि आज से करीब 9 साल पहले किशनलाल व उसके परिवार के साथ श्योजीराम और उसके परिवार वालों ने मारपीट की थी, जिसमें किशनलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस वालों ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस वालों ने करवाए थे। गवाह ने यह कथन किया कि उसने जब प्रदर्श पी–4 पर हस्ताक्षर किए थे तो उसने उसे पढ़ा नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा हुआ था। इसी क्रम में पी.ड. 4 के तौर पर शिवराज परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि आज से करीब साढे नौ साल पहले की बात है। शोर शराबे की आवाज सुनकर वह किशनलाल के खेत पर पहुंचा जहां पानी की बात को लेकर किशनलाल और उसकी पत्नी के साथ श्योजीराम और उसकी पत्नी ने मारपीट की थी। उसने और रामचंद्र ने बीचबचाव कराया। जिरह के दौरान गवाह ने कथन किया कि वह घटना के 15–20 मिनट बाद पहुंचा था तथा यह सुझाव सही बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा।

15. उक्त गवाहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह पी.ड. 3 बृजराज घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 के गवाह के तौर पर परीक्षित हुआ है, परंतु जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किए हैं कि प्रदर्श पी–4 पर हस्ताक्षर करते हुए उसने उसे पढ़ा नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा है। गवाह पी.ड. 4 शिवराज घटना के गवाह के तौर पर

परीक्षित हुआ है, परंतु जिरह के दौरान गवाह ने कथन किया है कि वह घटना के 15–20 मिनट बाद पहुंचा था तथा यह सुझाव सही बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा। उक्त गवाहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधिवक्ता अभियुक्तगण उक्त गवाहान के मुख्य परीक्षण के कथनों का जिरह के माध्यम से खण्डन करने में सफल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान के बयानों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है तथा उक्त बयान अभियोजन की कहानी की पुष्टि करने में असमर्थ है।

16. इसी क्रम में पी.ड. 6 के तौर पर ओमप्रकाश प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के दौरान की गई समस्त कार्यवाही की पुष्टि की है तथा अनुसंधान के दौरान एकत्रित किए गए दस्तावेजात की पुष्टि की है। गवाह ने कथन किया है कि जमाबंदी प्रदर्श पी–5 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ए से बी पटवार के व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया है कि दौराने अनुसंधान परिवादी द्वारा तलवार व कुल्हाड़ी से मारपीट करना दर्ज करवाया था, जो मौके पर जब्त नहीं किए गए। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि परिवादी द्वारा अपने खेत के खसरा नंबर अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अंकित नहीं किए हैं तथा यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी–5 व पी–6 गवाहान के बयान दर्ज करने के बाद लिए गए थे। गवाह ने कथन किया कि कहासुनी किस खेत में हुई है, इसके संबंध में परिवादी द्वारा खसरा नंबर नहीं बताया गया तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 में एक्स स्थान पर भी खसरा नंबर अंकित नहीं है, चूंकि हल्का पटवारी से रिपोर्ट बाद में प्राप्त की थी। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि मौके पर आस पड़ौस के खेत वालों को गवाह नहीं बनाया गया, चूंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में वे गवाह बनने के लिए तैयार नहीं थे तथा यह सुझाव सही बताया कि नक्शा मौका घटनास्थल की कार्यवाही के दौरान हल्का पटवारी को मौके पर नहीं बुलाया गया था। उक्त गवाह के बयानों से अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ की गई मारपीट के तथ्यों को पुष्टि मिलती है।

17. अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा तलवार व कुल्हाड़ी जब्त नहीं की गई, जिस कारण धारदार हथियार से मारपीट किया जाना सिद्ध नहीं होता है। उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का यह विनम्र मत है कि जहां आहतगण ने एक स्वर में यह कथन किए हैं कि अभियुक्तगण ने उनके साथ लकड़ी व फावड़े से मारपीट की थी, वहां मारपीट के दौरान इस्तेमाल में लिए गए हथियार (फावड़े) की जब्ती ना होने मात्र से यह सिद्ध नहीं

हो जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त हथियार इस्तेमाल में नहीं लिया गया था। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

18. अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा कि एफआईआर प्रदर्श पी–1 में परिवादी ने अभियुक्तगण द्वारा तलवार से वार करने के अभिकथन किए हैं, परंतु न्यायालय में हुए परीक्षण के दौरान गवाहान ने अभियुक्तगण द्वारा लकड़ी व फावड़े से मारपीट करने के कथन किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि इस विरोधाभास के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना उचित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण के उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का यह विनम्र मत है कि उक्त विरोधाभास लघु प्रकृति का है। तलवार तथा फावड़ा दोनों धारदार हथियार की श्रेणी में आते हैं। आहतगण के धारदार हथियार से चोट कारित किए जाने की पुष्टि पत्रावली पर मौजूद चिकित्सीय साक्षी डॉ. अनिल मीणा द्वारा की गई है। अतः उक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

19. अतः उक्त विवेचनानुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में चूंकि आहतगण किशनलाल व मैना देवी ने एक स्वर में यह कथन किए हैं कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ फावड़े व लकड़ी से मारपीट की गई थी तथा उक्त गवाहान के बयानों की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी डॉ. अनिल मीणा द्वारा एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण श्योजीराम, प्रेम व सुमित्रा ने परिवादी किशनलाल, परिवादी की पुत्री मैना देवी व परिवादी की पत्नी प्रेम देवी के साथ सदोष अवरोध उत्पन्न कर धारदार हथियार से साधारण चोटें कारित की। फलतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 324 व 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

20. अभियुक्तगण पर धारा 447 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी आरोपित है। इस संबंध में पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। गवाह पी.ड. 1 किशनलाल तथा पी.ड. 2 मैना देवी ने यह कथन किए हैं कि अभियुक्तगण ने उनके खेत पर आकर उनके साथ मारपीट की थी। गवाहान द्वारा घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 की भी पुष्टि की गई है तथा गवाह किशनलाल ने खेत की जमाबंदी प्रदर्श पी–5 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–6 प्रदर्शित कराये है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी/गवाह पी.ड. 6 ओमप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि जमाबंदी प्रदर्श पी–5 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–6 पर ए से पटवारी व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। इस क्रम पर घटनास्थल

के नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना परिवादी किशनलाल के खेत पर कारित हुई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दौराने विचारण अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जमाबंदी प्रदर्श पी–5 तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–6 स्वीकार किया गया है। अतः पत्रावली पर मौजूद उक्त सामग्री के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी किशनलाल, उसकी बेटी मैना देवी व उसकी पत्नी प्रेम देवी के साथ धारदार हथियार से साधारण चोटें परिवादी के खेत पर कारित की गई थी। फलतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 447 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी संदेह से परे सिद्ध होता है।

21. अतः अभियुक्तगण **1.** श्योजीराम पुत्र जगदीश, उम्र 35 साल, **2.** सुमित्रा पत्नी श्योजीराम, उम्र 33 साल, **3.** प्रेम देवी पत्नी रामेश्वर पुत्री कुंदन, उम्र 50 साल, निवासीगण नांदसी, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 341 व 447 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

{ शुभम गुप्ता }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर

22. **सजा के प्रश्न पर सुना गया।** विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, उनके विरुद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं एवं अपने द्वारा किये गये कृत्य पर शर्मिंदा है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर उन्हें आरोपित अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने इसका घोर विरोध किया तथा अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

23. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। यह सही है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में किसी दोषसिद्धि का साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, इसलिये यह उनका प्रथम अपराध ही माना जाएगा। अभियुक्तगण का ग्रामीण परिवेश और गरीब व्यक्ति का होना जाहिर हुआ है। अन्य कोई गंभीर परिस्थितियां विद्यमान

नहीं है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

24. अतः अभियुक्तगण **1.** श्योजीराम पुत्र जगदीश, उम्र 35 साल, **2.** सुमित्रा पत्नी श्योजीराम, उम्र 33 साल, **3.** प्रेम देवी पत्नी रामेश्वर पुत्री कुंदन, उम्र 50 साल, निवासीगण नांदसी, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 341, 447 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर उनको तुरंत किसी कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित करने की बजाय उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्तगण 10,000/–रु. (अक्षरे दस हजार रुपये) के स्वयं के बंध पत्र एवं इसी राशि की जमानत एक वर्ष की अवधि के लिये इन शर्तों के अधीन की वे अपराध की पुनरावृत्ती नहीं करेंगे, उक्त अवधि के दौरान सदाचार बनाये रखेंगे एवं शर्त भंग होने पर न्यायालय में सजा पाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, पेश कर तस्दीक करा ले तो उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5 के तहत प्रत्येक अभियुक्तगण पर 800/– (आठ सौ रुपये) बतौर क्षतिपूर्ति व अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किये जाते हैं। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

{शुभम गुप्ता}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर

25. निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

{शुभम गुप्ता}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर